संख्या 06 /XLIII (1)–13–38(11)/02

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन
मण्डलायुक्त
कुमायूँ/गढवाल मण्डल
पुलिस महानिदेशक
उत्तराखण्ड
निदेशक,
सतर्कता अधिष्ठान, उत्तराखण्ड
देहरादून
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष
उत्तराखण्ड

सु0भ्र0उ0ज0 (सतर्कता)अनुभाग देहरादूनः दिनांकः २/ मार्च, 2014

विषयः– राज्य सतर्कता समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय शासनादेश संख्या 398/XLIII (1)–13–38(11)/02 दिनांक 16 मई, 2013 के आशिंक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्व ट्रैप की कार्यवाही शासन के सतर्कता विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही सम्पादित की जाती है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा विवेचना के उपरान्त सक्षम न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति हेतु आख्या प्रस्तुत की जाती है। अपचारी अधिकारी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तिथि से 60 दिन के अन्दर आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल न किये जाने की स्थिति में अपचारी अधिकारी को जमानत मिलने की

सम्भावना रहती है। ट्रैप के प्रकरणों में विधिक पूर्व स्वीकृति जारी करने के लिये राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति प्राप्त करने में प्रायः विलम्ब होने की सम्भावना रहती है जिससे अपचारी अधिकारी को जमानत प्राप्त होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

2– अतः वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ट्रैप के प्रकरणों में अभियोजन की विधिक पूर्व स्वीकृति देने के लिये राज्य सतर्कता समिति की संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

3– उक्त शासनादेश संख्या 398/XLIII (1)–13–38(11)/02 दिनांक 16 मई, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या 06 (1)/XLIII (1)–13–38(11)/02 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव